भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4725
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायिक सुधार

4725. डॉ. आनन्द कुमार गोंड :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर के न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कोई सुधार शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश, विशेषकर बहराइच में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित मामलों के लिए फास्ट्रैक न्यायालय स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार न्यायिक दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या हाशिए पर पड़े समुदायों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में देश में कितने लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : लंबित मामलों को समयबद्ध रीति से निपटाना, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है।तथापि, केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा अधिदेशित मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के प्रति अटूट वचनबद्धता रखती है।इसके लिए, सरकार ने एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कई पहल की हैं जो न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे की सुविधा प्रदान करती है।इनमें से कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

i. **राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन :** राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में अभिवृद्धि करके तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को सुनिश्चित करके पहुंच में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्वयित दृष्टिकोण का अनुसरण करता रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए ऐसी बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पदसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी से ग्रस्त क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनर्निमाण करना तथा मानव संसाधन विकास पर बल देना है।

ii **न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) :** न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हॉलों, न्यायिक अधिकारियों के लिए

आवासीय क्वाटरों, वकीलों के हॉलों, शौचालय परिसरों और वादियों सहित विभिन्न हितधारकों के जीवन को आसान बनाने वाले डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जा रही हैं जिससे न्याय दिलाने में मदद मिलती है।1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ से आज की तारीख तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।इस स्कीम के अंतर्गत न्यायालय हॉलों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 को 22,062 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 को 19,775 हो गई है।

iii **न्यायिक नियुक्तियां :** सरकार नियमित रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भर रही है।01.05.2014 से 06.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1024 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 788 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया।उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या मई, 2014 के 906 से बढ़ाकर अब तक 1122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

तारीख	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है।

iv. **बकाया समितियां :** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में पारित एक संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों की स्थापना की गई है।जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियां गठित की गई हैं।

v. **विधायी संशोधन :** न्यायालयों की लंबित मामलों की संख्या को कम करने और उनके बोझ को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।

vi. **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा देना :** वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है।तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्थान मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया।माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा किया गया है ताकि समय-सीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाई जा सके।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामले की प्रबंधन सुनवाई के लिए प्रावधान है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का प्रावधान करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणात्मक समाधान प्राप्त किया जा सके।यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले की अवधि के दौरान प्रक्रियात्मक कैलेंडर बनाने और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए आरंभ की गई एक और नई विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जा सकने वाले स्थगन की

संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

(ख) : अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना, जिसके अंतर्गत साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के लिए त्वरित निपटान न्यायालय भी हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है जो अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करती हैं।

14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, टर्मिनल बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना की सिफारिश की थी ।वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से यह भी आग्रह किया था कि वे इस उद्देश्य के लिए कर अंतरण के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजकोषीय अंतराल का उपयोग करें।संघ सरकार ने राज्य सरकारों से यह भी आग्रह किया है कि वे वित्तीय वर्ष 2015-16 से त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए धन आवंटित करें ।उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.01.2025 तक देश में 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं ।उत्तर प्रदेश राज्य में, 31.01.2025 तक राज्य में 373 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं।

इसके अलावा, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार समयबद्ध तरीके से बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए अक्टूबर, 2019 से विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान न्यायालय विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है।उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 31.01.2025 तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यरत हैं।इन न्यायालयों ने स्कीम के आरंभ से 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है जबकि 2,03,000 से अधिक मामले लंबित हैं।उत्तर प्रदेश राज्य में 31.01.2025 तक बहराइच में 3 कार्यात्मक एफटीएससी के साथ राज्य में 218 कार्यात्मक एफटीएससी हैं।

(ग) : सरकार न्यायिक दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।इस संबंध में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को अपनाने के माध्यम से न्यायिक प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है।ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण I और II के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ उठाया गया था।वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया।99.5% न्यायालय परिसरों को वैन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सक्षम की गई है।31.01.2025 तक, जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्रों और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है।21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों की स्थापना की गई है। 31.01.2025 तक, इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और जुर्माने के रूप में 714.99 करोड़ रुपये से अधिक वसूल किए हैं।मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-न्यायालय चरण- III को मंजूरी दी है।चरण- I और चरण- II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण- III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय की बढ़ी हुई आसानी की व्यवस्था आरंभ करना है।यह सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करने का इरादा रखता है।

(घ) और (ङ) : सीमांत समुदायों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था।यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य निशक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक न्यायालयों का आयोजन किया जाए।इस प्रयोजनार्थ, तालुक स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाएं स्थापित की गई हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए गए क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के अंतर्गत विधिक सहायता और सलाह ; विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लीनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक न्यायालयों और पीड़ित मुआवजा स्कीम का कार्यान्वयन भी है।
- विगत तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान देश में विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**
2022-23	12,14,769
2023-24	15,50,164
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	11,79,800
कुल	**39,44,733**

- वर्ष 2021 में "डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया" (दिशा) नामक एक व्यापक, अखिल भारतीय स्कीम 250 करोड़ रुपए के परिव्यय पर पाँच वर्षों (2021- 2026) की अवधि के लिए आरंभ की गई थी।दिशा स्कीम का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आसान, सुलभ, सस्ती और नागरिक केंद्रित विधिक सेवाएं प्रदान करना है।दिशा स्कीम के अधीन, टेली-लॉ मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ता है और मुकदमा-पूर्व सलाह प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर देता है; न्याय बंधु (प्रोबोनो सेवाएं) पंजीकृत लाभार्थियों को न्यायालयों में निशुल्क विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन, नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और हकदारियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने के लिए सशक्त किया जाता है।28 फरवरी 2025 तक, दिशा स्कीम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लगभग 2.10 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है।

- इसके अतिरिक्त, दूर-विधि सेवाओं ने इसके कुल 1,08,69,661 लाभार्थियों में से महिलाओं (39.4%), सामान्य (24%), अन्य पिछड़े वर्गों (31%), अनुसूचित जातियों (31%) और अनुसूचित जनजातियों (14%) को प्रभावित किया है।इसके अलावा, पहुंच बढ़ाने के लिए, टेली लॉ वेब पोर्टल और टेली-लॉ एप्लिकेशन का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया है।प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के माध्यम से इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।इसके अतिरिक्त, मुकदमा-पूर्व सलाह और न्यायालयों में विधिक प्रतिनिधित्व के लिए टेली-लॉ को न्याय बंधु (प्रोबोनो विधिक सेवाएं) प्लेटफार्म के साथ एकीकृत करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।तत्काल विधिक सलाह और परामर्श के लिए 14454 के माध्यम से नागरिकों के लिए टोल-फ्री नंबर आरंभ किया गया है।

****